

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा-39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा वक्रस कमिटी के गठन एवम उससे सम्बन्धित अन्य मामलो हेतु उक्त अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त शक्तियों को निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी उनके सम्मुख अंकित क्षेत्रों में प्रयुक्त की जा सकेगी:-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1	सहायक श्रम आयुक्त, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर	बाड़मेर जिला
3	सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा	बालोतरा जिला
4	श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी	फलोदी जिला
5	सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली-बहरोड जिला
6	उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
7	श्रम कल्याण अधिकारी, सलूमबर	सलूमबर जिला
8	सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द	राजसमंन्द जिला
9	श्रम कल्याण अधिकारी, डीग	डीग जिला
10	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर जिला

राज्यपाल के आदेश से,
 धर्मपाल सिंह,
 अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
 पदेन संयुक्त शासन सचिव,
 राजस्थान, जयपुर।